कार्यकाल आधार पर डी.बी.डब्ल्यू. की नियुक्ति पूर्ण विज्ञापन/अधिसूचना

(संख्या 1914/96/एओसीपी/एचआरएम/ओएफडीआर/फेज़-2)

अनुबंध के आधार पर कार्यकाल आधारित डी.बी.डब्ल्यू. (डेंजर बिल्डिंग वर्कर) कार्मिकों की शेष रिक्तियों को भरने के लिए, आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे (महाराष्ट्र), म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की इकाई, भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय में कार्य करने हेतु प्रारंभ में 'एक वर्ष की अविध के लिए अटेंडेंट ऑपरेटर- केमिकल प्लांट (एओसीपी) ट्रेड के पूर्व प्रशिक्षुओं से ऑफ़लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो आयुध निर्माणियों से एओसीपी ट्रेड (एनसीटीवीटी) के पूर्व प्रशिक्षु हैं अथवा जिन्होंने सरकार से संबद्धता वाले सरकारी/निजी संगठन से एओसीपी ट्रेड (एनसीटीवीटी) किया है और सरकारी आईटीआई से एओसीपी (एनसीटीवीटी) किया है। इस अविध को निर्माणी की आवश्यकता और कार्मिक के प्रदर्शन के आधार पर नियुक्ति की तारीख से अधिकतम चार वर्ष की अविध के लिए प्रारंभिक अविध सिंहत बढ़ाया जा सकता है।

2. पद का विवरण, मूल वेतन और रिक्तियां निम्ननानुसार हैं:-

	ਧਕ	कौशल			कुल रि	क्तेयां- 149)	
पद का नाम	मूल वेतन	स्तर	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	एस.सी.	एस.टी.	ईडब्ल्यूएस	पूर्व सैनिक #
कार्यकाल आधारित डी.बी.डब्ल्यू.	रु. 19,900 + डीए	कुशल	31	53	30	15	20	20

(# - हॉरिजोंटल)

- नोट: (i) उपरोक्त पद पी.डब्ल्यू.बी.डी. (बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति) उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नहीं है। इसलिए पी.डब्ल्यू.बी.डी.श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र नहीं हैं।
- (ii) आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे (ओएफडीआर) की आवश्यकता के आधार पर रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है।
- (iii) कार्यकाल की अवधि कार्य ग्रहण की तारीख से अधिकतम चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर बिना किसी नोटिस के स्वत: ही समाप्त हो जाएगी।
- (iv) हालाँकि, कार्यकाल की अविध के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का नोटिस देकर अथवा नोटिस के बदले समेकित पारिश्रमिक में मूल वेतन + मंहगाई भत्ता (डी.ए.) का भुगतान कर रोजगार समाप्त किया जा सकता है।

3) आवश्यक योग्यता:

आयुध निर्माणियों से एओसीपी ट्रेड (एन.सी.टी.वी.टी.) के पूर्व-प्रशिक्षुओं या सरकार से संबद्धता रखने वाले सरकारी/निजी संगठनों से एओसीपी ट्रेड (एन.सी.टी.वी.टी.) के उम्मीदवारों और सरकारी आईटीआई से एओसीपी ट्रेड (एन.सी.टी.वी.टी.) के उम्मीदवारों का विचार किया जाएगा।

4) आयु सीमा : आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को (अर्थात् रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन के 21 वें दिन) 18 से 35 वर्ष के बीच । अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) - नॉन क्रीमी लेअर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/ एसटी) और पूर्व-सैनिक उम्मीदवार को आयु में निम्नानुसार स्वीकार्य छूट दी जाएगी :-

(i)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए	05 वर्ष (केवल एससी/एसटी के लिए आरक्षित पद के संबंध में)
(ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर- क्रीमी लेअर)	03 वर्ष (केवल ओबीसी के लिए आरक्षित पद के संबंध में)
(iii)	पूर्व सैनिक	मिलिट्री सेवा की अवधि + 03 वर्ष

5) आवेदन शुल्क : कोई शुल्क नहीं।

6) आवेदन कैसे करें :-

अभ्यर्थियों को केवल म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट (http://munitionsindia.in/career/) से "ओ.एफ. देहू रोड: एओसीपी ट्रेड के प्रशिक्षुओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं " शीर्षक के साथ दिए गए लिंक से आवेदन पत्र डाउनलोड और प्रिंट करना होगा और इसे केवल बड़े अक्षरों (ब्लॉक लेटर) में भरकर अन्य आवश्यक अनुलग्नकों के साथ, समान फोटो की तीन अतिरिक्त प्रतियां (फोटो के पीछे नाम और जन्मतिथि लिखी गई हो) के साथ निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा भेजना होगा:-

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी देहू रोड ,

पुणे- 412 101

ई-मेल : ofdrestt@ord.gov.in

फोन नं.: 020-27167246/47/98 (केवल कार्यालय दिवस/समय पर सक्रिय)

लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"अनुबंध के आधार पर कार्यकाल आधारित डीबीडब्ल्यू कार्मिक के लिए आवेदन"** लिखा जाना चाहिए।

नोट: अभ्यर्थी को नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तथा इस संबंध में अन्य अपडेटेड जानकारियों के लिए नियमित रूप से वेबसाईट (http://munitionsindia.in/career/) को चेक करते रहना चाहिए ।

7) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि:- रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन तिथी से 21 दिनों तक।

8) पारिश्रमिक

- (i) पारिश्रमिक का भुगतान प्रति दिन 8 घंटे कार्य करने पर संबंधित वेतनामन के मूल वेतन के 1/30 वे हिस्से की दर से महंगाई भत्ते के साथ किया जाएगा। अनिधकृत छुट्टी/ड्यूटी से अनुपस्थिति आदि के लिए आनुपातिक कटौती की जाएगी। नियुक्त कार्मिक नियमित कर्मचारियों के समान कंपनी अवकाश के लिए पात्र होंगे।
- (ii) प्रचलित केंद्रीय महंगाई भत्ता (डीए) लागू होगा।
- (iii) शहरों के वर्गीकरण के अनुसार मकान किराया भत्ता देय होगा। (कंपनी के क्वार्टर उपलब्ध न होने पर) नोट:- कंपनी क्वार्टरों की उपलब्धता के मामले में, क्वार्टरों के आबंटन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। क्वार्टर के लाइसेंस शुल्क की कटौती नियमित कामगारों के लिए लागू दरों के अनुसार की जाएगी।
- (iv) संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, कार्यकाल के दौरान मूल वेतन पर 3% की (केवल अगले दस रुपये तक पूर्णांकित) वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी।

- (v) निश्चित अविध के लिए रोजगार पर तैनात व्यक्ति के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। संतोषजनक और उससे ऊपर प्रदर्शन रेटिंग वाले व्यक्तियों को रोजगार के दौरान प्रत्येक वर्ष के पूर्ण होने पर, संबंधित वेतनमान पर लागू वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी। खराब या उससे भी कम प्रदर्शन रेटिंग वाले व्यक्तियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए लिखित रूप में 3 माह का समय दिया जाएगा। तीन माह के बाद पुन: प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और यदि दोबारा प्रदर्शन रेटिंग खराब या उससे कम पाई जाती है, तो व्यक्ति की सेवाएं 15 दिनों की नोटिस देकर समाप्त कर दी जाएगी।
- (vi) नियुक्त कार्मिक ईपीएफ के लिए पात्र होंगे और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत कवर किए जाएंगे।
- (vii) निश्चित अविध के आधार पर नियोजित कार्मिक समय-समय पर संशोधित बोनस अधिनियम 1965 के अनुसार बोनस (यदि लागू हो) के लिए पात्र हैं।

9) कार्य का स्वरूप :-

- (i) सैन्य विस्फोटक और गोला-बारूद का निर्माण और हैंडलिंग।
- (ii) नियुक्ति के बाद, आयुध निर्माणियों से प्रशिक्षुता न रखने वाले एओसीपी कार्मिकों को आयुध निर्माणी देहू रोड द्वारा विस्फोटकों, गोला बारूद के सुरक्षित संचालन, सुरक्षा मानदंडों, क्या करें और क्या न करें आदि के संबंध में अनिवार्य 'एक महीने' का व्यापक आंतरिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही इन कार्मिकों को विशिष्ट कार्य पर तैनाती के लिए विचार किया जाएगा।

10) चयन का तरीका :-

- (i) उम्मीदवारों का चयन केवल एनसीटीवीटी और ट्रेड टेस्ट/प्रैक्टिकल टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट के अनुसार किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को बुलाने के लिए कट ऑफ प्रतिशत आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे (ओएफडीआर) द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (ii) योग्यता क्रमसूची (मेरिट लिस्ट) एनसीटीवीटी परीक्षा और ट्रेड टेस्ट/ प्रैक्टिकल टेस्ट में प्राप्त संयुक्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
- (iii) एनसीटीवीटी परीक्षा और ट्रेड टेस्ट / प्रैक्टिकल टेस्ट में अंकों का वेटेज क्रमशः 80% और 20% होगा।
- (iv) एनसीटीवीटी और ट्रेंड टेस्ट/प्रैक्टिकल टेस्ट में सफल उम्मीदवारों को मेरिट के क्रमानुसार दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधिसूचित पदों की संख्या (विषय/श्रेणीनुसार) तक सीमित होगी।
- (v) अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता, आयु, योग्यता, अनुभव आदि के संबंध में विज्ञापित मानदंडों को पूरा न करने के कारण दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की अस्वीकृति के मामले में, अतिरिक्त उम्मीदवारों को मेरिट (विषय/श्रेणीनुसार) के क्रम में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा । दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अतिरिक्त उम्मीदवारों की संख्या अस्वीकृत किए गए उम्मीदवारों की संख्या तक सीमित होगी।

11) आवेदन की अस्वीकृति/उम्मीदवारी रद्व करना:-

अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन या पात्रता मानदंड और विज्ञापन की शर्तों को पूरा न करने वाले आवेदन पत्रों को खारिज कर दिया जाएगा।

12) सामान्य शर्तै: -

(i) शैक्षिक योग्यता, आयु के प्रमाण हेतु प्रमाणपत्र, संस्थानों से अनुभव प्रमाणपत्र (यदि कोई हो), जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ ओबीसी उम्मीदवारों के लिए), ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए), भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र (भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए) आदि की स्वयं सत्यापित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

- (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत पद के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवार को आवेदन पत्र के परिशिष्ट-। में दिए गए प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित वचन पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) झूठी / गलत / अधूरी जानकारी और / या संदिग्ध / फर्जी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित किया जाएगा। फोन/संदेश वाहक के माध्यम से किसी भी पत्राचार, पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) किसी भी रूप में सिफारिश करवाना अयोग्यता मानी जायेगी।
- (v) केवल आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से ट्रेड टेस्ट/प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए "कॉल लेटर" जारी करने की गारंटी नहीं देता है।
- (vi) केवल लघु सूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट / प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए डाक और ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- (vii) आयुध निर्माणी देहूरोड, पुणे डाक की देरी या किसी अन्य कारणों से भरे हुए आवेदन/ कॉल लेटर आदि देर से प्राप्त होने/न मिलने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
- (viii) ई-मेल आईडी और फोन/मोबाइल नंबर को पूरी भर्ती प्रक्रिया के समाप्त होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए।
- (ix) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बस / ट्रेन टिकट और जाति / समुदाय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, यात्रा के सबसे लघु मार्ग के लिए नियमों के तहत स्वीकार्य द्वितीय श्रेणी के यात्रा भत्ते (टीए) का भुगतान किया जाएगा। यात्रा भत्ते (टीए) के दावे की प्रतिपूर्ति के लिए "बैंक विवरण फॉर्म" जमा करना अनिवार्य है।
- x) ट्रेड टेस्ट/प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को अपने खर्च पर यात्रा करनी होगी और चिकित्सा परीक्षा के लिए एक दिन अतिरिक्त रुकना होगा।

13) अन्य लाभ तथा नियम और शर्तें

- (i) कार्यकाल आधारित कर्मियों का कार्य स्वरूप (पैटर्न) नियोक्ता का विशेषाधिकार होगा।
- (ii) नियुक्त कार्मिक प्रतिवर्ष 30 दिन की छुट्टी के हकदार होंगे। सेवा के प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए 2.5 दिन की छुट्टी जमा की जाएगी। कार्मिक द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान 30 दिन तक छुट्टी जमा की जा सकती है और एक वर्ष पूरा होने पर इसका नकदीकरण किया जा सकता है। कार्यकाल के पृथक्करण/समापन से पहले सेवा के अंतिम महीने के लिए, सेवा के अंतिम माह से संबंधित 2.5 दिनों की छुट्टी उस महीने के 15 वें दिन जमा की जाएगी। नोट:- कार्यकाल आधारित कार्मिकों के संबंध में छुट्टी का नकदीकरण लागू नियमों और निबंधन और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
- (iii) नियुक्त कार्मिक एक महीने में 5 दिन से अधिक की छुट्टी नहीं ले सकते हैं और चिकित्सा आधार को छोड़कर लगातार 3 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते हैं। विशेष परिस्थिति में नियोक्ता, कार्मिक को एक वर्ष में अधिकतम 30 दिन तक की छुट्टी दे सकता है बशर्ते कार्मिक के खाते में छुट्टी शेष हो।
- (iv) कार्यकाल आधारित कर्मी किसी भी आयुध निर्माणी अस्पताल और औषधालय या अन्य जगहों पर किसी भी अन्य चिकित्सा लाभ के हकदार नहीं होंगे। आपात स्थिति में आयुध निर्माणी अस्पतालों / औषधालयों में सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है।
- (v) कार्यकाल आधारित कार्मिक कंपनी के मानदंडों के अनुसार संरक्षा और सुरक्षात्मक उपकरणों, उपकरण, किट आदि के लिए पात्र होंगे।

- (vi) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार महिला कर्मी मातृत्व लाभ की हकदार होंगी।
- (vii) कार्यकाल आधारित कार्मिक की नियुक्ति प्रारंभ में **एक वर्ष** की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर होगी, जिसे निर्माणी की आवश्यकता और व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर नियुक्ति की तारीख (प्रारंभिक अवधि सहित) से अधिकतम **चार वर्ष** की अवधितक बढ़ाया जा सकता है।
- (viii) कार्यकाल आधारित नियुक्त कर्मचारी को कंपनी के नियमित कर्मचारी के दर्जे का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जायेगा।
- (ix) कार्यकाल आधारित कार्मिक, सौंपे गए कार्यों और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले कंपनी/फैक्टरी के विभिन्न नियमों और विनियमों, जैसे स्थायी आदेशों आदि का पालन करेंगे।
- (x) कार्यकाल आधारित कार्मिक लागू नियमों के अनुसार आयकर, सेवाकर, व्यावसायिक कर आदि के अंतर्गत कवर किए जाएंगे और ऐसे सभी कर उनके द्वारा देय होंगे।
- (xi) कार्यकाल आधारित कार्मिक जहां भी उपलब्ध हो, कंपनी क्वार्टरों के लिए पात्र होंगे। परंतु वे निम्नलिखित के हकदार नहीं होंगे:-
 - क. पदोन्नति
 - ख. समयोपरी कार्य भत्ता (ओटी)
 - ग. ऋण, अग्रिम और ब्याज सब्सिडी
 - घ. चिकित्सा सुविधाएं
 - ङ. आकस्मिक अग्रिम
 - च. स्कूल शुल्क प्रतिपूर्ति
 - छ. एलटीसी/एलटीए सुविधाएं
 - ज. अध्ययन अवकाश स्वीकृति
 - झ. उच्च अध्ययन के लिए प्रायोजकता
 - ञ. नियमित कर्मचारी को मिलने वाले अन्य लाभ जिनका विज्ञापन में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।
- (xii) कार्यकाल आधारित कार्मिक इस योजना में बताए गए भत्तों के अलावा किसी अन्य भत्ते या लाभ के हकदार नहीं होंगे।
- (xiii) कार्मिक के प्रदर्शन का मूल्यांकन अर्ध- वार्षिक आधार पर किया जाएगा।
- (xiv) नियुक्ति पूर्ण कालिक आधार पर होगी । अधिकृत छुट्टी/कंपनी अवकाश के अलावा ड्यूटी से अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप समेकित परिलब्धियों (कुल मेहनताना) में आनुपातिक कमी होगी । ऐसे कार्मिक नियमित कर्मचारियों के लिए लागू कंपनी की छुट्टियों के लिए पात्र होंगे ।
- (xv) किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का नोटिस देकर या नोटिस के समेकित पारिश्रमिक के बदले में मूल वेतन + डीए घटकों का भुगतान कर, कार्यकाल की अविध के दौरान किसी भी समय रोजगार समाप्त किया जा सकता है।

14) सभी उम्मीदवारों के लिए सावधानी :

कुछ अनैतिक तत्व अवैध परितुष्टि के माध्यम से निर्माणी/कंपनी में आपको नियुक्ति दिलाने का आश्वासन देकर आपसे संपर्क कर सकते हैं। आपको इस तरह के झूठे आश्वासन या शोषण का शिकार नहीं होना चाहिए और किसी भी हालत में ऐसे तत्वों की ओर ध्यान या प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। इस बात पर ज़ोर दिया जाता है और पुन: आश्वासन दिया जाता है कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से योग्यता के आधार पर ही की जाएगी।

15) उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी :

उपर्युक्त रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदित पद के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

- 16) उम्मीदवार के लिए अन्य जानकारी:
- (i) चयन प्रक्रिया की सभी स्थितियों में उनका प्रवेश निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन पूरी तरह से अनंतिम (Provisional) होगा।
- (ii) ट्रेड टेस्ट के लिए उम्मीदवार को केवल कॉल लेटर/प्रवेश पत्र जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि उसका/उसकी उम्मीदवारी आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे द्वारा अंततः स्वीकार कर ली गई है।
- (iii) मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन निर्माणी में दस्तावेज़ सत्यापन के समय ही किया जाएगा।
- 17) अंकों की बराबरी की स्थिति (टाई) का समाधान:

अंकों की बराबरी की स्थिति (टाई) के मामलों का समाधान निम्नानुसार किया जाएगा :-

- (i) एनसीटीवीटी (अब एनसीवीटी) में प्राप्त उच्च अंक।
- (ii) आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे या अन्य आयुध निर्माणियों के पूर्व-ट्रेड प्रशिक्षु को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (iii) जन्म तिथि अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी
- 18) उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र/कॉल लेटर डाक और ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे।
- 19) इस विज्ञापन के विरुद्ध कार्यकाल आधारित डीबीडब्ल्यू (कुशल) के संबंध में कोई भी विवाद केवल पुणे में स्थित न्यायालय के अधीन होगा।
- **20)** सक्षम प्राधिकारी आकस्मिकता के मामले में आंशिक या पूर्ण रूप से चयन के किसी भी वैकल्पिक वैध तरीके को अपनाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- 21) भारत के नागरिक जो विज्ञापन में उल्लिखित अपेक्षित योग्यता पूरी कर रहे हैं, वे पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- **22)** इस विज्ञापन की हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा की विवादास्पद स्थिति के मामले में, अंग्रेजी भाषा के विज्ञापन को वैध माना जाएगा।

नोट: आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे के पास इस विज्ञापन के विषय में जब भी आवश्यकता हो, संशोधन करने का अधिकार सुरिक्षत है और वह शुद्धिपत्र जारी कर सकती है अर्थात् नियम और विनियम आदि के संबंध में जो केवल म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के वेबसाइट (अर्थात् https://munitionsindia.in/career/) पर ही प्रकाशित किया जाएगा न कि रोजगार समाचार पत्र या अन्य समाचार पत्रों में । उम्मीदवारों से निवेदन है कि वे म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की वेब साइट को बार-बार देखें ।

-हस्ताक्षरित-

(अमित कुमार मीणा) संयुक्त महाप्रबंधक/प्रशासन कृते मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध के आधार पर कार्यकाल आधारित डीबीडब्ल्यू कार्मिक के लिए आवेदन (सं. 1914/96/AOCP/HRM/OFDR/PHASE- II)

सेवा में, मुख्य महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी देहू रोड, पुणे - 412101

आवदेक के नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो के लिए जगह (स्वयं साक्ष्यांकित) अच्छी तरह से चिपकाया जाए (स्टेपल न किया जाए)

(केवल बड़े (ब्लॉक) अक्षरों में भरा जाना है)

1	आवेदित पद	अनुबंध के आधार पर कार्यकाल आधारित डी.बी.डब्ल्यू. कार्मिक
2	नाम (जैसा कि 10 वीं कक्षा के प्रमाणपत्र में उल्लेख किया गया है)	
3	पिता/पति का नाम	
4	जन्म-तिथि (दिनांक/माह/वर्ष)	
5	आयु (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को)	
6	राष्ट्रीयता	
7	जाति/वर्ग	
	(उल्लेख करें कि क्या अनारक्षित/एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ ईडब्ल्यूएस/ पूर्व सैनिक हैं)	
8	यदि पूर्व सैनिक हैं तो सेवा का पूर्ण विवरण दें	
9	पत्रव्यवहार के लिए पूर्ण पता और पिनकोड	
10	फोन/मोबाइल नंबर	
11	ई-मेल आई.डी (सुस्पष्ट अक्षरों में) अनिवार्य है ।	*
12	दो प्रमुख और दिखाई देने वाले पहचान चिह्न	i)
		ii)
13	ट्रेड टेस्ट/प्रैक्टिकल टेस्ट का माध्यम (हिंदी/अंग्रेजी)	

14. दसवीं/एसएससी से शुरू होनेवाली शैक्षिक और अन्य योग्यता का विवरण:-

स्कूल/कॉलेज का नाम	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / परीक्षा बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अधिकतम अंक	कुल प्राप्त अंक	प्रतिशत

15 ए.ओ.सी.पी. ट्रेड परीक्षा में एन.सी.टी.वी.टी. (एन.ए.सी./एन.टी.सी.) उत्तीर्ण करने संबंधी विवरण

	क्या आयुध		प्रशिक्षण	ा अवधि				
ट्रेड का नाम		के पूर्व- प्रशिक्षु हैं अयुध निर्माणी का नाम	से	तक	एनसीटीवीटी बैच नं.	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्रमाणपत्र सं. एवं जारी करने की तिथि	प्रतिश त

15.1 ए.ओ.सी.पी. ट्रेड परीक्षा में (आयुध निर्माणियों के अलावा) एन.सी.टी.वी.टी. (एन.ए.सी./एन.टी.सी.) उत्तीर्ण करने संबंधी विवरण

ट्रेड का नाम	ट्रेड का नाम संस्थान/संगठन का नाम		ण अवधि	एनसीटीवीटी बैच नं.	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्रमाणपत्र संख्या एवं जारी करने की तिथि	प्रतिशत
		से	तक				

16. अनुभव का विवरण

कंपनी का विवरण	पद	अवधि से	अवधि तक	ड्यूटी का स्वरूप
			E .	

17. अनुलग्नों की जाँच सूची

क्र.सं.	अनुलग्नक	हाँ/नहीं
1	जन्म तिथि का प्रमाण	
2	शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र	
3	ए.ओ.सी.पी. ट्रेड में एन.सी.टी.वी.टी. (एन.टी.सी. या एन.ए.सी.) प्रमाणपत्र	
4	अनुभव प्रमाणपत्र यदि कोई हो	
5	जाति प्रमाणपत्र (एससी / एसटी / ओबीसी) —आरक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में	
6	ओबीसी/पूर्व-सैनिक उम्मीदवारों द्वारा घोषणा – परिशिष्ट – । / परिशिष्ट – ।।	
7	टीए का दावा करने के लिए बैंक का पूर्ण विवरण फॉर्म (एस.सी./ एस.टी.उम्मीदवारों के लिए)	
8	क्या उपरोक्त सभी दस्तावेज/प्रमाणपत्र स्वयं प्रमाणित हैं	
9	स्वयं सत्यापित फोटो की दो प्रतियां (एक आवेदन पत्र पर चिपकाया गया और एक अतिरिक्त)	

घो	षणा
मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी	ने इस आवेदन को भेजने से पहले निर्देशों को
ध्यान से पढ़ लिया है। मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ	कि इस आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और
विश्वास के अनुसार सही हैं। मैं जानता/जानती हूँ कि प्रस्तुत ज	गानकारी में पाई गई कोई भी विसंगति के कारण किसी भी समय
मेरीउम्मीदवारी रद्द की जा सकती है/मुझे निकाला जा सकता है	\$ 1
दिनांक:	उम्मीदवार के हस्ताक्षर
स्थान:	

परिशिष्ट -।

केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवारों द्वारा घोषणा (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाणपत्र में समान पृष्ठांकन दिया जाना चाहिए)

并
श्रीका/की
पुत्र/पुत्रीगाँव/नगर/शहरजिलाराज्य
का/की निवासी, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैंसमुदाय से हूँ जिसे डीओपीटी
कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-Estt (SCT) दिनांक 08-09-1993 और यथासंशोधित में निहित आदेशों के अनुसार
सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी घोषित किया जाता है कि
मैं दिनांक 08-09-1993 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और यथा संशोधित की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित
व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेअर) से संबंधित नहीं हूँ।
दिनांक :

परिशिष्ट - ॥

सिविल पदों के लिए आवेदन करनेवाले उम्मीदवारों द्वारा दिए जाने वाले वचन बंध का प्रपत्र भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत

मैं जानता हूँ कि यदि इस आवेदन से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर मेरा चयन किया जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत रिलीज/सेवानिवृत्त/सेवा मुक्त किया गया है और मैं भूतपूर्व सैनिकों (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुन: रोजगार) नियम 1979 और समय-समय पर यथा संशोधित के संदर्भ में पूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य लाभों का हकदार हूँ।

मैं यह भी जानता हूं कि मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आनेवाली भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं रहूँगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी समय भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाकर सिविल पक्ष (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सिहत) में कोई रोजगार प्राप्त किया हो।

दिनांक (उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

आयुध निर्माणीदेहूरोड म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की इकाई भारत सरकार का उद्यम रक्षा मंत्रालय पुणे, महाराष्ट्र – 412 101



Ordnance Factory Dehu Road
Unit of Munitions India Ltd.
Govt. of India Enterprises
Ministry of Defence
Pune, Maharashtra – 412 101

दूरभाष संख्या / Phone No. : 020-27671206, 09

फैक्स / Fax: 020-27671616, 3838

ई-मेल / e-mail : ofdr@ord.gov.in

ENGAGEMENT OF TENURE BASED DBW Full Advertisement/Notification

(No. 1914/96/AOCP/HRM/OFDR/PHASE-II)

Offline applications are invited from Ex-Apprentices of Attendant Operator-Chemical Plant (AOCP) trade who are Ex-apprentices of AOCP trade (NCTVT) from Ordnance Factories OR having AOCP trade (NCTVT) from Government/Private organization having affiliation from Government and having AOCP (NCTVT) from Government ITI for filling up of unfilled vacancies of Tenure based DBW (Danger Building Worker) Personnel on CONTRACT BASIS, to work in Ordnance Factory Dehu Road, Pune (Maharashtra), a unit of Muntitions India Limited, Government of India Enterprises, Ministry of Defence, initially for a period of 'ONE year which may be extended upto a maximum period of FOUR years from the date of engagement, including initial period, based on requirement of Ordnance Factory Dehu Road, Pune and individual's performance.

2. Details of Post, Basic Pay & Vacancies are as follows:

Name of	Basic	Skill			Total Va	cancies - 1	149	
the post	Pay	Level	UR	OBC	SC	ST	EWS	#Ex-SM
Tenure	Rs.							
Based	19,900 +	Skilled	31	53	30	15	20	20
DBW	DA							

(# - Horizontal)

Note:

- (i) The above post is not identified for PwBD (Person with Benchmark Disability) candidates. Hence, candidates belonging to PwBD category are not eligible for the post.
- (ii) The number of vacancies may decrease/increase depending upon the requirement of Ordnance Factory Dehu Road, Pune (OFDR).
- (iii) The tenure will come to an end automatically on completion of maximum period of four years from the date of joining, without any further notice.
- (iv) However, the employment can be terminated at any time, during the period of tenure engagement by giving one month's notice by either party or payment of the Basic Pay + DA components in the Consolidated Remuneration lieu of the Notice.

3) ESSENTIAL QUALIFICATION:

Ex-apprentices of AOCP trade (NCTVT) from Ordnance Factories **OR** AOCP trade (NCTVT) candidates from Government/Private organization having affiliation from Government and the candidates having AOCP (NCTVT) from Government ITI will be considered.

Continued on Page 02/-

4) AGE LIMIT:

Between 18 and 35 years as on last date (i.e. 21st Day of publication of advertisement in Employment News) of receipt of application. Age relaxation, as admissible, will be given to OBC-NCL, SC/ST & Ex-SM candidates as under:

(i)	For SC/ST	05 Years (Only in respect of post reserved for SC/ST)
(ii)	For OBC (Non-Creamy Layer)	03 Years (Only in respect of the post reserved for OBC)
(iii)	For Ex-Serviceman	Period of Military Service + 03 Years

5) APPLICATION FEES :- NIL

6) HOW TO APPLY:

Candidates are required to download and print the Application Form from the link provided only at Munitions India Limited Website (http://munitionsindia.in/career/) with heading "O.F. Dehu Road: Applications are invited from Apprentice of AOCP trade" and fill up the same in BLOCK LETTERS only, along with other necessary enclosures, three extra copy of the same photograph (with name and Date of birth should be written on backside of photograph) are to be forwarded by post to the following address.

The Chief General Manager, Ordnance Factory Dehu Road,

Pune- 412101

E-Mail: ofdrestt@ord.gov.in

Tel. No.: 020-27167246/47/98 (active only during the working days/hrs.)

The envelope must be clearly super scribed as "APPLICATION FOR 'TENURE BASED DBW' PERSONNEL ON CONTRACT BASIS".

Note: The candidate must go through detailed Terms and Conditions and also check regularly this website (http://munitionsindia.in/career/) for any further updates.

7) CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION:- 21 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THE ADVERTISEMENT IN THE EMPLOYMENT NEWS PAPER.

8) REMUNERATION:

- (i) Remuneration will be paid @ 1/30th of the pay at the basic of the relevant pay scale Plus Dearness Allowance for work of 8 Hours a day. Proportionate deduction shall be made for unauthorized leave/absence from the duty etc. The engaged personnel will be eligible for company holidays at par with the regular employees.
- (ii) Central DA as prevalent will be applicable.

- (iii) House Rent Allowance as per classification of Cities (when Company Quarter is not available)
- **Note:** In case of availability of Company Quarters, priority would be given for allotment of Quarters. License fee for Quarters will be deducted at the rates as applicable to regular Workmen.
- (iv) An annual increment of 3% (rounded off to the next ten rupees only) during the tenure shall be admissible on the Basic Pay, subject to Satisfactory Performance.
- (v) The performance of the individual on fixed term employment will be evaluated. Individuals with performance rating Satisfactory & above will be granted an increment, as applicable to the corresponding pay-scale, on completion of each year during the employment. Individuals having performance rating Poor or below will be given 3 months time in writing to improve their performance. After three months again, performance will be evaluated and if again the performance rating found Poor or below, the services of the individual will be terminated by giving 15 days notice.
- (iv) Personnel engaged will be eligible for EPF and will be covered under Employee's Compensation Act, 1923, as per act and government guidelines.
- (v) Personnel engaged on fixed term basis are eligible to Bonus (if applicable) as per Bonus Act 1965 amended time to time.

9) **JOB SPECIFICATION:**

- (i) Manufacturing and handling of Military explosive and ammunitions.
- (ii) After hiring, the AOCP personnel not having apprentice from Ordnance Factories will be given compulsory 'ONE MONTH' extensive in-house training w.r.t. Safe Handling of explosives, ammunitions, safety norms, Do's & Don'ts, etc. by OFDR and only after successful completion of the training these personnel will be considered for specific job deployment.

10) MODE OF SELECTION:

- (i) Selection of the candidates shall be done based on the Marks scored in the NCTVT and Trade Test/ Practical test only, in the order of Merit. Cut off percentage for calling candidates for Trade test will be decided by Ordnance Factory Dehu Road, Pune (OFDR).
- (ii) Merit list will be prepared based on combined marks secured in NCTVT Exam and Trade test/Practical Test.
- (iii) Weightage of Marks in NCTVT Exam and Trade test/Practical test will be 80% and 20% respectively.
- (iv) Candidates qualifying in the NCTVT and Trade Test/ Practical test will be called for Document Verification in the order of Merit. The number of candidates called for Document Verification will be limited to the number of posts notified (Discipline/Category wise).

(v) In case of rejection of candidates during the Document Verification process on account of non-availability of requisite documents / testimonials, not meeting the advertised criteria with respect to Age, Qualification, Experience, etc., additional candidates will be called for Document Verification in the order of Merit (Discipline / Category wise). The number of additional candidates called for Document Verification will be limited to the number of candidates rejected.

11) REJECTION OF APPLICATION/CANCELLATION OF CANDIDATURE:

Applications received after closing date or not meeting eligibility criteria and Terms & Conditions of the advertisement will be summarily rejected.

12) GENERAL CONDITIONS:

- (i) The self-attested copies of Educational Qualifications, Certificate for Age Proof, Experience Certificate from institutions (if any), Caste Certificate (for SC/ST/OBC Candidates), EWS Certificates (For EWS Candidates), Proof of Ex-serviceman (for Ex-Serviceman Candidates) etc., should be enclosed along with the application.
- (ii) The OBC candidate applying for the post under OBC category should also have to submit duly signed undertaking in the format given at Appendix-I of the Application Form.
- (iii) Submission of false / incorrect / incomplete information and / or dubious / bogus documents shall disqualify the candidature. No correspondence enquiry through Phone/messenger will be entertained.
- (iv) Canvassing in any form will lead to disqualification.
- (v) Mere submission of application form does not guarantee issue of "Call Letter" for Trade Test/Practical Test.
- (vi) Only shortlisted candidates will be informed through post and e-mail for Trade Test/Practical Test.
- (vii) Ordnance Factory Dehu Road, Pune will not be responsible for late / non-receipt of filled-in application / Call letters, etc., due to postal delay or any other reasons.
- (viii) E-mail ID & Phone/Mobile Numbers should be kept active till the completion of whole recruitment process.
- (ix) SC/ST candidates shall be paid second class TA as admissible under the rules in the shortest route of travel, on production of Bus/Train ticket and Caste/Community Certificate for document verification. It is mandatory to submit "Bank Details Form" for reimbursement of TA Claims.
- (x) Candidates appearing for Trade test/Practical test will have to travel on their own expenses and required to stay one day more for medical examination.

13) OTHER BENEFITS AND TERMS & CONDITIONS:

(i) Working pattern of the Tenure based personnel will the prerogative of the employer.

- (ii) Personnel engaged will be entitled of 30 days Leave per year. 2.5 days of Leave will be credited, for every calendar month of service. Leave can be accumulated by the Personnel during their tenure up to 30 days and can be encashed after completion of one year. For the last month of Service prior to separation/ completion of Tenure, the Leave of 2.5 days pertaining to the last month of Service will be credited on the 15th day of that month.
- **Note:** Encashment of Leave in respect of Tenure based Personnel will be governed by applicable Rules and Terms & Conditions.
- (iii) Personnel Engaged cannot take more than 5 days leave in a month and cannot take continuously 3 days leave in a stretch except on medical ground. Under special circumstance employer can give relaxation in availing leave not more than 30 days in a year subject to number of leave credited in his/her account.
- (iv) Tenure based personnel will not be entitled for any other medical benefits in any of the Ordnance Factory Hospitals & Dispensaries or elsewhere. In case of an emergency, facilities in Ordnance Factory Hospitals / Dispensaries can be availed.
- (v) Tenure based personnel will be entitled for safety and protective gears, equipment, kits etc. as per the Company norms.
- (vi) Female personnel will be entitled to Maternity Benefits as per the provisions under the Maternity Benefit Act, 1961.
- (vii) The engagement of Tenure based Personnel shall be on contract basis initially for a period of **ONE Year** which may be extended up to a maximum period of **FOUR year** from the date of engagement (including initial period) based on factory requirement and individual performance.
- (viii) The Tenure Based Engagement will not confer any right on the Personnel to claim the status of a regular employee of the Company.
- (ix) The Tenure based Personnel will abide by various Company/Factory Rules & Regulations governing carrying out the assigned tasks and their conduct, like Standing Orders etc.
- (x) Tenure based personnel will be covered under the Income Tax, Service Tax, Professional Tax, etc. as per the applicable Rules and all such Taxes would be payable by them.
- (xi) Tenure based personnel will be eligible for Company Quarters, wherever available. They will not be entitled for the following:
 - a. Promotions;
 - b. OT Allowance
 - Loans, Advances & Interest Subsidies;
 - d. Medical Facilities;
 - e. Contingency Advance;
 - f. School Fee Reimbursement;

- g. LTC / LTA Facilities;
- h. Grant of Study Leave;
- Sponsorship for Higher Studies;
- j. Any other benefits admissible to regular Workmen not mentioned specifically in advertisement.
- (xii) The Tenure based Personnel will not be entitled for any Allowances or Benefits other than those indicated in this Scheme.
- (xiii) Performance of the Personnel would be assessed on a half yearly basis.
- (xiv) The engagement will be on full time basis. Absence from duty other than on authorized Leave /Company Holidays will result in proportionate reduction in the Consolidated Emoluments. They will be eligible for Company Holidays as applicable to regular employees.
- (xv) The employment can be terminated at any time, during the period of tenure engagement by giving one month's notice by either party or payment of the Basic Pay + DA components in the Consolidated Remuneration in lieu of the Notice.

14) CAUTION TO ALL CANDIDATES:

Some unscrupulous elements may approach you with the assurance of procuring appointment for you in the factory/compony through illegal gratification. You must not fall prey to such false assurance or exploitation and must not entertain or encourage such elements in any way. It is emphasized and re-assured that the entire selection exercise will be done on merit in a transparent manner.

15) CANDIDATE TO ENSURE THEIR ELIGIBILITY FOR THE ENGAGEMENT:

The candidates applying for the afore-mentioned vacancies should ensure that they fulfill all eligibility conditions.

16) OTHER INFORMATION TO THE CANDIDATE:

- (i) Their admission to all the states of the selection procedure will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions.
- (ii) Mere issue of Call Letter/Admit Cart to the candidate for the Trade Test will not imply that his/her candidature has been finally accepted by Ordnance Factory Dehu Road, Pune.
- (iiii) Verification of eligibility conditions with reference to original documents will be done only at the time of document verification in the factory.

17) RESOLUTION OF TIE:

The resolution of tie cases will be settled as under:

- (i) Higher marks in NCTVT (now NCVT)
- (ii) Ex-Trade Apprentice of Ordnance Factory Dehu Road, Pune or other Ordnance Factories will be given preference

- (iii) Date of Birth-Older candidate will be given preference
- 18) Admit Card/Call Letters will be forwarded to the candidates by post and e-mail.
- 19) Any dispute with regard to the tenure based DBW (Skilled) against this advertisement will be subject to courts situated in Pune only.
- 20) The Competent Authority reserves all the right to adopt any alternative lawful mode of selection in part or in whole, in case of contingency.
- 21) The citizens of India who are fulfilling the requisite qualification as mentioned in the advertisement can apply for the post.
- 22) In case of contradiction between HINDI and ENGLISH language of this advertisement, advertisement in ENGLISH language will prevail.
- Note: Ordnance Factory Dehu Road, Pune reserve all the rights to amend content of this advertisement as and when situation warrants & can issue corrigendum i.e. regarding rules and regulations etc. which will only be published on MIL website (i.e. https://munitionsindia.in/career/) and not in employment news or other news papers. Candidates are requested to visit MIL website frequently.

Sd/(AMIT KUMAR MEENA)
JOINT GENERAL MANAGER/MM
FOR CHIEF GENERAL MANAGER

APPLICATION FOR TENURE BASED DBW PERSONNEL ON CONTRACT BASIS (No. 1914/96/AOCP/HRM/OFDR/PHASE-II)

To, The Chief General Manager, Ordnance Factory Dehu Road, Pune- 412101

Plac	ce for	recer	nt
pas	sport		size
pho	to		
of t	he app	licar	nt
(sel	f-attes	ted	in
fror	nt)		
to	be	fir	mly

(TO BE FILLED UP IN **BLOCK LETTERS** ONLY)

1	Post Applied for	TENURE BASED DBW PERSONNEL ON CONTRACT BASIS
2	Name in Block Letters (as mentioned in 10th std. certificate)	
3	Father's / Husband's Name	
4	Date of Birth (dd/mm/yyyy)	
5	Age (as on last date of receipt of applications)	
6	Nationality	
7	Caste / Category (Mention whether UR/SC/ST/OBC-NCL/EWS/Ex-SM)	
8	If Ex-SM, give complete details of service rendered	
9	Address in full with PIN Code for communication	
10	Phone/Mobile Number	
11	E-mail ID (In Block Letter) Compulsory	
12	Two Prominent and visible identification Marks	i) ii)
13	Medium of trade Test/Practical Test: (HINDI/ENGLISH)	

14. Details of educational and other qualifications starting from X Standard/SSC:

Name of Recognized University / Board of Examination	The second south the second	Year of Passing	Maximu m Marks	Total Marks Obtained	Percentage

15. Details of Passing NCTVT (NAC/NTC) in AOCP Trade Examination

Name of Trade	Whether Ex-Trade	N C	Training 1	Training period			Certificat	
	Apprentic es Of Ordnance Factories (Yes/No)	Name of Ordnance Factory	From	То	NCTVT Batch No.	Year of Passing	e No. & Date of Issue	Perce ntage

15.1 Details of Passing NCTVT (NAC/NTC) in AOCP Trade Examination (other than Ordnance Facctories)

Name of Trade	Name of the institute/org anisation	Training period		NCTVT	Year of	Certificate		
		From	То	Batch No.		No. & Date of Issue	Percentage	

16. Experience Details:

Company Details	Designation	Period From	Period To	Nature of Duties

17. Check List of Enclosures:

Sl.	ENCLOSURES	YES / NO
No		
1	Proof of Date of Birth	
2	Educational Qualification Certificate	
3	NCTVT (NTC or NAC) certificate in AOCP Trade	
4	Experience Certificate if any	
5	Caste Certificate: (SC/ST/OBC)- in prescribed proforma for reserved candidates	
6	Declaration by OBC/Ex-SM candidates- Appendix- I / Appendix- II	
7	Complete Bank Details Form for claiming TA (for SC/ST candidates)	
8	Whether all above documents / Certificates are self-attested	
9	Two copies of self-attested photographs (one pasted on application form and one extra)	

DECLARATION

application are correct to	have read the instructions this application. I hereby declare that all the statements made in this the best of my knowledge and belief. I understand that any discrepancy abmitted by me will lead to cancellation of my candidature / debarment at
Date :	
Place:	
	Signature of the Candidate

DECLARATION BY OBC CANDIDATES ONLY

(Similar endorsement should be given in the caste certificate from the competent authority)

I,	Son/Daughter of .		Resident
of village/town/city .	District	State	
Hereby declare that	I belong to the		community which is
recognized as a backw	ard class by the Government of India	for the purpose of	reservation in services
as the orders contained	l in DOPT OM No.36012/22/93-Estt.	(SCT) dated 08.09	0.1993 and as amended.
It is also declared that	I do not belong to persons/sections (C	Creamy Layer) me	entioned in column 3 of
the Schedule to the ab	ove referred Office Memorandum dat	ted 08.09.1993 and	d as amended.
Date:			
		, 0	ature of the Candidate)
			APPENDIX- II

FORM OF UNDERTAKING TO BE GIVEN BY CANDIDATES APPLYING FOR CIVIL POSTS UNDER EX-SERVICEMEN CATEGORY

I understand that, if selected on the basis of the recruitment/examination to which this application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the Appointing Authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed forces that I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

I also understand that I shall not be eligible to be appointed to a vacancy reserved for Ex-Servicemen in regard to the recruitment covered by this examination, if I have at any time prior to such appointment, secured any employment on the civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/Statutory Bodies, Nationalized Banks etc.) by availing of the concession of reservation of vacancies admissible to Ex-Servicemen.

Date:

(Signature of the Candidate)